सूचना का अधिकार (लेखा परीक्षा)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1. आवेदन करने की प्रक्रिया

कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त करने का इच्छुक है, को नीचे प्रक्रिया 3 में यथावर्णित शुल्क के साथ इलेक्ट्रानिक माध्यम से या लिखित अनुरोध देना चाहिए।

2. आवेदन का प्रारूप

आवेदक को उसकी/उसका नाम व पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) एवं संबंधित सूचना जो वह चाहती/चाहता है, यदि संभव हो तो क्रम संख्या व दिनांक इत्यादि के साथ, स्पष्ट रूप से दर्ज करने चाहिए।

3. शुल्क

I. (क) शुल्क उचित रसीद के विरूद्ध नकद में या वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची के नामे बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा जमा की जा सकती है।

(ख) शुल्क की प्रमात्रा - धारा 6 के उप-धारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु किसी अनुरोध के साथ उपरोक्त (क) में वर्णित तरीके से रुपये दस (₹ 10/-) का आवेदन शुल्क दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के संवर्ग से संबंध रखता हो, तो उसे शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उसे इस संदर्भ में अपने आवेदन के साथ गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र संलग्ण करना होगा।

II. धारा 7 के उप धारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दर से शुल्क भारित किये जाएंगे -

(i) तैयार किये गये या प्रतिलिपि बनाये गये प्रत्येक पृष्ठ (A4 या A3 पेपर साईज) के लिए, रुपये दो (₹ 2/-)

(ii) बड़े आकार के पृष्ठ की प्रतिलिपि के लिए, उसपर हुए वास्तविक खर्च या क्रय की राशि

(iii) मॉडल या नमूना के लिए वास्तविक खर्च या क्रयराशि

(iv) डिस्क या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्क या फ्लॉपी रुपये पचास (₹ 50/-), एवं उसका भिन्नांश

(v) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे कोई शुल्क नहीं, एवं प्रति उत्तरवर्ती घण्टे के लिए रुपये पॉच (₹ 5/-) की दर से शुल्क।

4. **आवेदन एवं शुल्क की पावती की व्यवस्था**

आवेदन एवं शुल्क की पावती की व्यवस्था कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची के अभिलेख एवं सामान्य अनुभाग में की गयी है। आवेदक अपेक्षित शुल्क का भुगतान क्रियाविधि (3) (क) के अनुसार भी कर सकते हैं।

5. अपील एवं अपीलीय-प्राधिकारी इत्यादि, यदि कोई हो

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी यानी वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची के विरूद्ध अपील अपीलीय प्राधिकारी यानी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची के सम्मुख की जा सकती है।